चित्रकूट-पुलिस

(1). थाना राजापुर पुलिस ने विश्वासघात कर गेंहू चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 02 को किया गिरफ्तार 346 बोरी गेहूं, ट्रक व बिक्री के 50 हजार रुपये बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस ने व्यापारी के साथ विश्वासघात कर गेंहू की चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को 346 बोरी गेहूं, ट्रक व बिक्री के 50 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.मोटर मालिक/चालक कृष्ण कुमार पाल पुत्र बैजनाथ पाल निवासी मोठीन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़

2.खलासी/सहायक चालक करम अली पुत्र मुन्नन खाँ निवासी रामापुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़

बरामदगीः-

(i). 346 बोरी गेंहू

(ii).घटना में प्रयुक्त ट्रक रजि0 नं0 UP70LT2569

(iii).गेहूं बिक्री का 50,060/- रुपये नगद

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

बोड़ी पोखरी चौराहा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट **दिनांक** 18/19.10.2024 की **रात्रि 01.10** बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 10.10.2024 को वादी श्री उमेश चन्द्र साहू पुत्र राधेश्याम निवासी पराको थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी कि वह गल्ला व्यापारी है तथा दिनाँक 30.09.2024 को उनके द्वारा मोटर मालिक कृष्ण कुमार पाल के ट्रक पर 600 बोरी (361 क्विंटल 60 किलो) गेहूं लादकर केसी रोलर प्लोड मील गेट नम्बर 150 पूने अहमद नगर महाराष्ट्र के लिये रवाना किया तथा किराये के लिये 7500/- रुपये दिये। 05 दिन बाद उनके द्वारा केसी. रोलर फ्लोर मिल पूने अहमद नगर महाराष्ट्र सम्पर्क किया तो वहां पर उनका गेंहू नहीं पहुंचा तथा ट्रक मालिक कृष्ण कुमार पाल से सम्पर्क किया तो मोबालइ बंद बताया । इस सूचना पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 210/2024 धारा 316(2),316(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

प्रभारी निरीक्षक राजापुर द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री इमरान खान के नेतृत्व में टीम को लगाया गया। उ0नि0 श्री इमरान खान एवं उनकी टीम द्वारा दिनाँक 18/19 की रात्रि लगभग 01.10 बजे बोड़ी पोखरी चोराहे से ट्रक नम्बर नं0 UP70LT2569 को बरामद किया गया जिसके अन्दर से अभियुक्त ट्रक मालिक/चालक कृष्ण कुमार पाल पुत्र बैजनाथ पाल निवासी मोठीन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व खलासी/सहायक चालक करम अली पुत्र मुन्नन खाँ निवासी रामापुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा ट्रक से 346 बोरी गेहूं बरामद किया गया तथा अभियुक्तों की जामा तलाशी से 50,060/- रुपये नगद बरामद किया गया।

गाड़ी मालिक/चालक कृष्ण कुमार पाल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरे ऊपर काफी कर्ज हो गया था तो मेरी नियत खराब हो गयी थी तो गेंहू को जहां ले जाना था वहां न ले जाकर इधर उधर करके बेंच रहे थे, हम लोगों ने 600 बोरी में से 254 बोरी गेंहू बेंच दिया है। आज हम बजे हुये माल को बेंचने सतना ले जा रहे थे।

बरामदशुदा ट्रक को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 303(2),317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 इमरान खान थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह

3.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

4.आरक्षी अजय मिश्रा

(2). एसओजी एवं थाना बरगढ़ की संयुक्त टीम ने चोरी की 04 घटनाओं का किया सफल अनावरण
चोरी के लगभग 06 लाख की कीमत के जेवरात व 03 मोबाइल बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना बरगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की 04 घटनाओं का खुलासा करते हुये 02 चोरों को सोने चांदी के जेवरात व 03 एंड्राइड मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.अबरार पुत्र रऊफ निवासी बरगढ थाना बरगढ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 32 वर्ष
2.नीरज पुत्र राजकुमार निवासी आदर्श कालोनी बरगढ़ थाना बरगढ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 23 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त अबरार उर्फ रऊफ का अपराधिक इतिहासः-

(i).मु0अ0सं0 18/2019 धारा 394 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट
(ii).मु0अ0सं0 98/2018 धारा 380,411,457 भादवि0
(iii).मु0अ0सं0 03/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम
(iv).मु0अ0सं0 01/2017 धारा 3,5,8 गोवध अधिनियम
(v).मु0अ0सं0 33/2019 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट
(vi).मु0अ0सं0 37/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम
(vii).मु0अ0सं0 55/2022 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट
(viii). मु0अ0सं0 59/2019 धारा 392,411 भादवि0 व 12/14 डीएए एक्ट
(ix). मु0अ0सं0 99/2018 धारा 380,411,457 भादवि0

बरामदगीः-

(i). 01 मंगलसूत्र पीली धातु
(ii). 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु
(iii).01 अंगूठी पीली धातु
(iv). 01 लोकेट पीली धातु
(v). 04 जोड़ी पायल सफेद धातु
(vi). 03 जोड़ी चूड़ा सफेद धातु
(vii).02 जोड़ी बिछिया सफेद धातु
(viii).03 एंड्राइड मोबाइल

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः-

अरवारी मोड़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट **दिनांक** 18.10.2024 **समय 15.45** बजे अपराहन

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 18.10.2024 को एसओजी एवं थाना बरगढ़ की पुलिस टीम द्वारा अरवारी मोड़ से मुखबिर की सूचना पर समय करीब 15.45 बजे अपराहन अभियुक्त 1.अबरार पुत्र रऊफ निवासी बरगढ थाना बरगढ जनपद चित्रकूट उम्र करीब 32 वर्ष 2.नीरज पुत्र राजकुमार निवासी आदर्श कालोनी बरगढ़ थाना बरगढ जनपद चित्रकूट उम्र

करीब 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की जामा तलाशी से उनके कब्जे से चोरी का 01 मंगलसूत्र पीली धातु, 01 जोड़ी झुमकी पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 लोकेट पीली धातु, 04 जोड़ी पायल सफेद धातु, 03 जोड़ी चूड़ा सफेद धातु, 02 जोड़ी बिछिया सफेद धातु, 03 एंड्राइड मोबाइल बरामद किये गये।

अभियुक्तों के कड़ाई से पूंछतांछ की गयी तो बताया कि दोनों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर करीब तीन माह पहले पनिहाई रोड मौजा सेमरा मे एक घर के अन्दर रखे बक्से से 10,000/- नकद, एक लाकेट सोने का चोरी किये तथा रोड के किनारे सो रहे व्यक्तियों के पास से तीन अदद बडी व तीन अदद छोटी, कुल छः अदद मोबाइल चोरी किये हुये थे, करीब दो माह पूर्व मस्तान साहब बाबा की कुटी के पीछे एक मकान के पीछे से जंगले के नीचे सेंध लगाकर घर के अन्दर घूसकर दो बक्सों में रखा एक मंगलसूत्र सोने का, दो पायल चाँदी की , एक जोडी बिछिया निकाल लिये थे तथा अलमारी खोल कर उसमें रखा 80,000/- चोरी कर लिये थे, इस घटना के 10-12 दिन बाद बरगढ के स्टेशन रोड कार्तिकेय स्कूल के बगल मकान में छत के ऊपर से जाली तोड कर घर में घुस गये थे वहां बक्से में रखा एक जोडी झुमका व छः पीस चाँदी का चूडा, एक जोडी पायल व दो जोडी बिछिया तथा 18,000/- नकद चोरी कर लिये थे तथा इस घटना के 22-23 दिन बाद स्टेशन रोड पर ही कोलमजरा मोड के पास एक मकान मे पीछे की दीवाल कूद कर अन्दर प्रवेश कर अलमारी का ताला तोड कर उसमें रखा एक लैपटॉप, 5,000/- नकद, एक जोडी चाँदी की पायल तथा एक सोने अंगूठी चुरा ले गये थे। चारों चोरियों में जो नकद पैसा मिला था उसको हम लोगो ने आपस मे बराबर-2 बाँट लिया था तथा सारा जेबरात पकडे जाने के डर से रखे हुए थे, अब नकद पैसे खर्च हो गये चोरी मे मिले लैपटॉप को बेचने के लिए काफी प्रयास किये परन्तु कागज न होने के कराण किसी दुकान पर नहीं बिक पाया तब थक हार कर राह चलते अन्जान व्यक्ति को 1300/- में बेच दिये थे जिसका पैसा भी हम लोगो ने आपस मे बाँट लिया था अब सारा पैसा खत्म हो गया है तो चोरी के सभी जेबरात लेकर प्रयागराग बेचने के लिए लेकर जा रहे थे।

उपरोक्त चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 66/2024, 72/2024, 75/2024, 85/2024 धारा 331(4),305 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत थे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी के माल बरामदगी के आधार पर उपरोक्त चारों मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। बरामदशुदा जेवरात की कीमत लगभग 06 लाख रुपये है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

एसओजी टीमः-

1. निरीक्षक श्री एमपी. त्रिपाठी एसओजी प्रभारी
2. आरक्षी रोहित सिंह
3. आरक्षी रोशन सिंह
4. आरक्षी पवन राजपूत
5. आरक्षी गोलू भार्गव
6. आरक्षी ज्ञानेश मिश्रा

थाना बरगढ़ की टीम

1. प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य
2. उ0नि0 श्री पवन प्रधान
3. उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह
4. मुख्य आरक्षी चालक रमेश चन्द्र
5. आरक्षी रंजीत यादव

(3). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/"शक्ति दीदी" द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-5" के तहत आज दिनांक 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना सरधुवा

की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा कस्बा सरधुवा में, थाना बहिलपुरवा की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा पुराना बहिलपुरवा,रेलवे स्टेशन एवं थाना मारकुण्डी की एण्टीरोमियों टीम द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के अलावा जागरुकता हेतु चलाए जा रहे अभियानों के बारे में सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(4). आज दिनाँक 19.10.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 46 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(i). वरि0उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी आनन्द प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त प्रेमकुमार पुत्र रामप्रसाद निवासी बछरन थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना रैपुरा तथा उनके हमराही आरक्षी बब्बू राजा, आरक्षी चालक पवन यादव द्वारा अभियुक्त कंचन सिंह पुत्र कुबेर सिंह निवासी बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 26 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). आज दिनाँक 19.10.2024 को पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी.एन. एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में तहसील कर्वी में सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में पुलिस एवं राजस्व विभाग को संयुक्त रुप से मौके पर जाकर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्रीमती रीता सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष भरतकूप श्री प्रवीण कुमार सिंह, पीआरओ श्री प्रदीप कुमार पाल एवं राजस्व व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी कमलाकान्त द्विवेदी द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पियूष यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 113/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी 1. रसूल मोहम्मद पुत्र नबी बक्स 2.सोनू यादव पुत्र दिनेश यादव निवासीगण महावीर नगर 3.लवकुश द्विवेदी पुत्र लल्लू द्विवेदी निवासी शास्त्री नगर 4. विजय कुमार पुत्र नत्थु प्रसाद निवासी आर्यनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 200/-200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). आज दिनांक 19.10.2024 को श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, प्रयागराज श्री भानु भास्कर द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह, जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी.एन., पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती अमृतपाल कौर की उपस्थिति में पुलिस लाइन स्थित राघव अतिथि गृह का फीता काटकर उद्घाटन एवं लोकार्पण किया गया तथा संपूर्ण गेस्ट हाउस का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यह अतिथि गृह राजपत्रित अधिकारीगण के लिए बनाया गया है। तत्पश्चात महोदय द्वारा अराजपत्रित अधिकारी गेस्ट हाउस का लोकार्पण एवं फीता काटकर उद्घाटन किया गया। महोदय द्वारा संपूर्ण गेस्ट हाउस का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। यह गेस्ट हाउस अराजपत्रित अधिकारीगण के लिए बनाया गया है।
तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन स्थित नवनिर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण किया गया।

इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री भूपेश द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर सुश्री पूजा साहू, क्षेत्राधिकार नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकार लाइंस श्री यामीन अहमद क्षेत्राधिकार प्रशिक्षु श्री फहद अली, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण, पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण का उपस्थित रहे।

(9). आज दिनाँक 19.10.2024 को अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन श्री भानु भास्कर द्वारा पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह,पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में आगामी दीपावली/कार्तिक अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पूरे परिक्रमा मार्ग का पैदल चलकर,रामघाट क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
भ्रमण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जय करन सिंह,क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु श्री फहद अली,पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज सी0डी0 एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0 831/2017 धारा 279,338 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रमाशंकर पांडेय पुत्र त्रिभुवन पांडेय निवासी ओरा चितौरी थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।